राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः 4.07.2021

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. कुलपति, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
10. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
13. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः- विश्वविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षायें आयोजित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मध्यनजर रखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में यूजीसी द्वारा विगत सत्र हेतु जारी किये गये दिशानिर्देश दिनांक 6.7.2020 में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने को अनिवार्य बताया था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 724/2020 एवं अन्य में 28 अगस्त, 2020 में निर्णय दिया कि राज्य/विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं कर सकते। अतः यूजीसी गाईडलाईन का समर्थन करते हुए 30 सितम्बर, 2020 तक अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गये।

विश्वविद्यालयों की वर्तमान सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा यूजीसी के उपर्युक्त दिशानिर्देशों दिनांक 6.7.2020 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 के आलोक में अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

अतः यूजीसी के दिशानिर्देश दिनांक 6.7.2020, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 एवं विभागीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा परिणाम एवं अंकतालिका जारी करने आदि में एकरूपता (Uniformity) बनाये रखने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैंः-

1. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का अतिशीघ्र टीकाकरण करवाया जावे।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

2. गत वर्ष की भांति स्नातक प्रथम् वर्ष के विद्यार्थियों को 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर अंक तालिका जारी कर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जावे। इन छात्रों की ऑनलाईन कक्षाएं 10 जुलाई, 2021 से प्रारंभ कर दी जावें।
3. स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर 10 जुलाई, 2021 तक ऑनलाईन कक्षाऐं प्रारम्भ की जावें तथा कोविड–19 के संदर्भ में हालात सामान्य होने पर इन छात्रों की परीक्षाएं सुविधानुसार ऑब्जेक्टिव/डिस्क्रेप्टिव पैटर्न पर आयोजित करवाकर 31 दिसम्बर, 2021 तक अंक तालिकाएं जारी की जावें।
4. यूजीसी दिशा निर्देश दिनांक 6.7.2020 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.8.2020 के अनुसार गत वर्ष की भांति स्नातक तृतीय/अन्तिम वर्ष व फाइनल/टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाऐं जुलाई के अन्तिम सप्ताह/अगस्त प्रथम् सप्ताह से ऑफ लाईन प्रारम्भ कर, 30 सितम्बर, 2021 तक परीक्षा परिणाम जारी किये जावें।
5. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई, 2021 से प्रारंभ किया जावे व हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसम्बर, 2021 तक उनका परिणाम जारी किया जावे।
6. स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष की परीक्षाऐं जुलाई के अन्तिम सप्ताह/अगस्त प्रथम् सप्ताह से ऑफ लाईन प्रारम्भ की जाकर 30 सितम्बर, 2021 तक परीक्षा परिणाम जारी किये जावें।
7. जिन कोर्सेज/संकाय/विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन है, उनकी परीक्षाऐं ऑनलाईन मोड पर करवाई जावें। इसी प्रकार व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं भी ऑनलाईन मोड पर आयोजित की जा सकती हैं।
8. प्रश्नपत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षाएं आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. परीक्षा की अवधि 03 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न–पत्र डेढ़ घण्टे/एक घंटे रखी जावे। इसके साथ, प्रश्न–पत्रों में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50 प्रतिशत ही हल करने का विकल्प दिया जावे।
10. जिन विषयों में 02/03 प्रश्न पत्र होते है उनके समस्त प्रश्न–पत्र एक ही पारी में (3 घंटे में) करवाये जावें।
11. प्रायोगिक परीक्षाओं का मूल्यांकन फाईल/ असाईनमेंट के आधार पर करवाया जावे।
12. व्यवसायिक पाठ्यक्रम यथा शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रबंधन आदि की परीक्षाऐं उनकी विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशानुसार सम्पन्न करवाई जावें। विधि की परीक्षाएं बार कौंसिल ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 10.6.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सम्पन्न करवाई जावें।
13. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाया जावे।
14. कोरोना एडवाईजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधन, वीक्षकों की उपलब्धता एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा केन्द्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित किये जावें ताकि परीक्षा केन्द्रों पर सामाजिक दूरी बनाये रखी जा सके।
15. वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, कोटा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित होने के कारण इसके अंतिम वर्षों के विद्यार्थियों को छोडकर शेष सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन परिस्थितियां सामान्य होने पर ऑफ लाईन मोड में करवाया जावेगा। इस विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार जुलाई–अगस्त, 2021 में करवाई जावेंगी।
16. समस्त विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन, अंकों के निर्धारण एवं परिणाम/अंकतालिका जारी करने आदि में समान फार्मूला अपनाते हुए एकरूपता (Uniformity) रखेंगे।
17. परीक्षा केन्द्रो पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित की जावे।
18. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवास के लिये कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्रावास परीक्षा अवधि तक खोले जा सकते हैं।
19. कोविड–19 से संक्रमित परीक्षार्थी, यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो उसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जावे।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

20. उपर्युक्त दिशा निर्देश नियमित, स्वयंपाठी तथा पूर्व छात्र (Ex-student) वर्गों के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
21. जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अपने सक्षम निकायों से इनका अनुमोदन प्राप्त करें।
22. छात्रहित में परीक्षा संबंधी तथा परिणाम संबंधी कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित की जावे ताकि अगला सत्र शीघ्र प्रारंभ हो सके।

भवदीय

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
9. कुलसचिव, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner